

उत्तराखण्ड शासन,

राजस्व अनुभाग-1

3(VI)

31/1/13

(13)

संख्या- 87 / XVIII(1) / 2013-2(19) / 2011

देहरादून: दिनांक: 18 जनवरी, 2013

अ०मु० रा० झा०

d.

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (अधिनियम संख्या-III 1901) (अनुकूलन एवं उपरान्तरण) आदेश, 2001 की धारा 11 की उप धारा (2) के द्वारा उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व में इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं के आंशिक उपान्तरण में इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के नाक से जिला चमोली में एक नयी तहसील, जो "आदिबद्री (चाँदपुर गढी)" के नाम से जानी जायेगी, जिसका मुख्यालय "आदिबद्री" में होगा, और निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्राम आविष्ट होंगे, सृजित करने तथा उक्त ग्रामों को वर्तमान तहसील गैरसँण जिला चमोली की भा से पृथक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधियालय में जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

सृजित तहसील आदिबद्री (चाँदपुर गढी) में सम्मिलित तहसील गैरसँण के ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	ताल	आदिबद्री
2.	बोली लग्गा ताल	
3.	जुलगढ	
4.	हाली सेरा उर्फ आदिबद्री	
5.	सिमली लग्गा नगली	
6.	थापली	
7.	जेम	
8.	श्यालकोट	
9.	रिठामंगरी	
10.	भलसों	
11.	लालनगोरी	
12.	सुगढ.	
13.	दुगढासेरा	
14.	बेडीमल्ली	
15.	बेडीतल्ली	

16. रण्डोली
17. खेती
18. मालसी
19. सिराणा
20. पण्डाव
21. बूराखोली
22. पज्याणा कुमार
23. मिरोली
24. खाल उर्फ कुमखोड़ी
25. कांसवा
26. भण्डार सेरा
27. बूंगा
28. कण्ड लगा कांसुवा
29. खेता
30. आली मज्याडी
31. कैण्डा
32. नगली
33. हरगांव
34. ढमकर
35. मलगुड
36. मज्याणी मल्ली
37. बडेथ
38. गिवाड
39. पैव
40. किरसाल
41. मटियाला
42. पुनगांव
43. पिण्डवाली
44. बिसौणा
45. पय्या
46. दरमोली
47. कल्याणी मल्ली
48. कल्याणी तल्ली
49. खैती लग्गा किरसाल
50. रिठोला
51. दलियाणा
52. माथर
53. मलेठी
54. एरोली

कांसवा

देवलकोट

माथर

55. मालई
56. गिरतोली
57. जखेट
58. भटक्वाली
59. कफलोड़ी
60. मोनी डडुवा
61. बेडू बगड
62. बनोला
63. नोना

आज्ञा से,
Amrakash
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या- /XVIII(1)/2013 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
Amrakash
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या-87(2)/XVIII(1)/2013 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Amrakash
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

4200/रा०प०/दि. 26-10-2015

3 (II)

132

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-1

अज्ञात क्षेत्र निरीक्षण

संख्या- 195 / XVIII(1)/2015-02(19)/2011 T.C-1

देहरादून: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2015

26/11/15

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए अधिसूचना संख्या-87/XVIII(1)/2013-02(19)/2011 दिनांक 18.01.2013 द्वारा इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रामों से मिलकर जिला चमोली में "आदिबद्री" मुख्यालय के साथ "आदिबद्री (चाँदपुरगढ़ी)" ज्ञात नाम से एक नई तहसील सृजित की गयी थी।

2 उपरोक्त क्रम में, राज्यपाल, उक्त अधिसूचना दिनांक 18.01.2013 को आंशिक संशोधित करते हुए इसकी अनुसूची में पूर्व से विद्यमान 63 राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त तहसील गैरसैण से 06 राजस्व ग्रामों को पृथक कर तहसील आदिबद्री (चाँदपुरगढ़ी) में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3 राज्यपाल यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिसूचना दिनांक 18.01.2013 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

अनुसूची

तहसील आदिबद्री (चाँदपुरगढ़ी) में सम्मिलित तहसील गैरसैण के 06 ग्रामों की सूची

क्र०सं०	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1.	छिमटा	सिलपाटा
2.	सिलपाटा	
3.	प्युरा	
4.	लंगटाई	
5.	पज्याणा मला	
6.	डोल्डू	

आज्ञा से,

(डी०एस० गर्ब्याल)

सचिव